COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

(9)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /09 रिवीजन

1. सुरेश, पुत्र श्री लालजी, जाति–चिडार, आयु – 50 साल,
2. लालाराम पुत्र श्री लालजी जाति–चिडार, आयु – 35 साल,

निवासीगण– ग्राम करैयराय, तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

रिवीजनकर्ता

R-529-II/09

विरुद्ध

मुकेश पुत्र श्री कुन्नू जाति– चमार आयु 10 वर्ष, ना.बा. सरपरस्त पिता स्वयं कुन्नू पुत्र श्री गब्दू जाति–चमार, निवासी– ग्राम करैयराय, तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

रेस्पोन्डेन्ट

Presented by
A.K. Sharma Adv
15-05-09

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. बिरुद्व माननीय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर, द्वारा प्रकरण कमांक 537/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.03.09, से व्यथित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है, जिसके द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.06 एवं ग्राम पंचायत करैयाराय द्वारा परित प्रस्ताव 01.04.06 निरस्त किया गया है।

रिवीजनकर्ता की ओर से यह रिवीजन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत करैयाराय में स्थित भूमि सर्वे कमांक 707/2 रकबा 1.100 हे. जमीन रिवीजनकर्तागण के काका छतुआ पुत्र गनपत चिडार निवासी करैयाराय के स्वामित्व एवं अधिपत्य की थी। छतुआ के कोई संतान नहीं है इसलिए उसके भतीजे रिवीजनकर्तागण ही उसके वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं।

R-529-II/09 (गढ़ीमनगर)

2.11.16.

[illegible]

राजमुद्रा—78—फॉर्म—17-6-2015—5,000.